रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 1993/फाल्गुन 19, 1914
No. 84] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 1993/PHALGUNA 19, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1993

सा.का.नि. 264 (अ) :—स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 1981 (1981 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) का और संशोधन करने के लिये कतिपय नियमों का एक प्रारूप विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 78(अ), तारीख 3 फरवरी, 1992 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) तारीख 3 फरवरी, 1992 में प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना जनता को 6 अप्रैल, 1992 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) संशोधन नियम, 1993 है।

2. उक्त नियमों के नियम 2 में—

(i) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) "सक्षम व्यक्ति" से ऐसी गैसों और ऐसी अवधि के लिये जो विनिर्दिष्ट की जाये इन नियमों में अनुबद्ध प्रतिष्ठापनों और परिवहन यानों का परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन करने के लिये मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त सक्षम व्यक्ति या कोई संगठन अभिप्रेत है यदि ऐसे व्यक्ति या संगठन के पास इन नियमों के परिशिष्ट 2 में दी गई अर्हताएं, अनुभव और अन्य अपेक्षाएं हैं और वह नियम 11क में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार मान्यता प्राप्त है ;

परन्तु मुख्य नियंत्रक किसी सक्षम व्यक्ति की बाबत अर्हताओं की अपेक्षाओं को शिथिल कर सकेगा यदि वह व्यक्ति अपवादिक रूप से अनुभवी और ज्ञानी है किन्तु वह उसके अधीन सुविधाओं की बाबत अपेक्षाओं को शिथिल नहीं कर सकता,

(ii) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(ङ) "संपीड़ित गैस" से कोई ऐसी स्थायी गैस, द्रवणीय गैस या द्रव में दाब या गैस मिश्रण में घुली गैस अभिप्रेत है जो एक बन्द दाब पात्र में अधिकतम कार्यकरण तापमान पर दो वायुमंडल (गेज) से अधिक दाब उत्पन्न करती है, और इसके अन्तर्गत हाईड्रोजन फ्लोराइड है (रोधनरहित या प्रशीतनरहित पात्रों के मामले में अधिकतम कार्यकरण तापमान 55 डि. सन्टीग्रेड अभिप्रेत।

(iii) खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(त) "निरीक्षक" से वह सुनिश्चित करने के लिये कि दाब पात्र आई एस 2825 या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य कोड के अनुसार डिजाइन किये गये हैं और उन्हीं के अनुसार उनका सन्निर्माण किया गया है, इन नियमों में अनुबद्ध सन्निर्माण के दौरान प्रक्रमवार निरीक्षण करने के पश्चात् दाब पात्र और उनकी फिटिंग का प्रमाणन करने के लिये मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त कोई वृत्तिक संगठन अभिप्रेत है यदि संगठन के संबद्ध सदस्यों के पास इन नियमों के परिशिष्ट 2 में दी गई अर्हताएं और अनुभव तथा अन्य अपेक्षाएं हैं और उन्हें नियम 11क में अधिकतम कथित प्रक्रिया के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है ;

(iV) खंड (न) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(न) "दाबपात्र" से किसी भी आकार का, किसी संपीड़ित गैस के भण्डारण और परिवहन के लिये आशयित कोई ऐसा संवृत धातु का आधान अभिप्रेत है जो आन्तरिक दाब के अधीन होता है और जिसकी जलधारिता एक हजार लीटर से अधिक है और इसके अन्तर्गत संबंधित पाइपिंग और फिटिंग से संयोजन के प्रथम बिन्दु तक उसके अन्तरयोजी पुर्जे और संघटक भी हैं, किन्तु इसमें वे आधान जिनके अन्तर्गत भाप या अन्य वाष्प का उत्पादन होता है या उसके उत्पादन के लिये आशयित है अथवा जल या अन्य द्रव अग्नि के प्रयोग या दहन के उत्पादों द्वारा अथवा विद्युत् साधनों द्वारा, तप्त किये जाते हैं अथवा तप्त किये जाने के लिये आशयित है, ताप-विनियमायक, वाष्पित्र वायु-ग्राही, प्रवाष्पी सम्पावित, प्रवाष्पी निजर्मक आटोक्लेव, रिएक्टर, कैलोरी-फायर दाव पाइपिंग संघटक, जैसे पृथककारी या चालनित्र और ऐसे पात्र जिसमें संपीड़ित अक्रिय गैस के आवरण के अधीन कोई द्रव हो, सम्मिलित नहीं है।

3. उक्त नियमों के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"3. साधारण छूट :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पात्रों को लागू नहीं होगी जो किसी प्रसंस्करण संयंत्र के भाग हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये, ऐसे पात्र, जो प्रसंस्करण संयंत्र के भाग हैं, से ऐसे पात्र अभिप्रेत हैं जिनमें यूनिट प्रसंस्करण या यूनिट प्रचालन किया जाता है और ऐसे पात्र जिन में प्रसंस्करण अपेक्षा के रूप में, उसी प्रसंस्करण संयंत्र में प्राप्त और उपयोग में लाई गई दाब गैस है परन्तु तब जब ऐसे पात्र (पात्रों) की जल क्षमता इतनी होगी कि अधिकतम कार्यकरण दाब पर उसमें भंडार की गई गैस डिजाइन की गई प्रवाह दर पर 16 घंटे से अनधिक अवधि के लिये उपभोगी बिन्दु (बिन्दुओं) के पोषण की अपेक्षा से अधिक नहीं होगी।"

4. उक्त नियमों के नियम 4 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(2) उपनियम (1) के अधीन अनुमोदित प्रकार या मानक या कोड के अनुसार पात्रों का विनिर्माण करने वाले किसी कारखाने का अनुमोदन मुख्य नियंत्रक द्वारा किया जायेगा। ऐसा अनुमोदन प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति मुख्य नियंत्रक को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा :—

(क) इन नियमों के परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां,

(ख) पांच सौ रुपये की जांच फीस।"

5. उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"11 फीस के संदाय की प्रक्रिया :—इन नियमों के अधीन देय सभी फीस मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के पक्ष में लिखे गये किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के ऊपर मांगेय ड्राफ्ट द्वारा संदत्त की जायेगी और जहां देय रकम 100 रु. (एक सौ रुपये) से अधिक नहीं है, वहां संदाय नकद, मनीआर्डर, पोस्टल आर्डर या स्थानीय बैंक पर लिखे गये चैक द्वारा किया जा सकता है।"

6. उक्त नियमों के नियम 11 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"11क. सक्षम व्यक्ति और निरीक्षक को मान्यता प्रदान करने और उसके प्रतिसंहरण की प्रक्रिया :—

(i) सक्षम व्यक्ति या निरीक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति मुख्य नियंत्रक को परिशिष्ट 3 में विहित प्ररूप में आवेदन देगा। प्रत्येक आवेदन के साथ सक्षम व्यक्ति के लिये आवेदन हेतु 500 रु. और निरीक्षक के लिये आवेदन हेतु 1000 रु. जांच फीस साथ लगी होगी। मुख्य नियंत्रक ऐसे आवेदन का रजिस्ट्रीकरण करेगा और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर क्षमता और वृत्तिक आचार के संबंध में अपना समाधान हो जाने पर या तो आवेदक को, यथास्थिति, सक्षम व्यक्ति या निरीक्षक के रूप में मान्यता दे देगा या कारण विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन को नामंजूर कर देगा।

(ii) मुख्य नियंत्रक, निरीक्षक या सक्षम व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मान्यता को प्रतिसंहृत कर सकेगा।

(क) यदि उसके विश्वास करने का यह कारण है कि निरीक्षक या सक्षम व्यक्ति ने मान्यता पत्र में अनुबंधित किसी शर्त का उल्लंघन किया है या इन नियमों के आशय या प्रयोजन से असंगत रीति से कोई परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण किया है या कार्य किया है; या

(ख) किसी अन्य कारण से जिसे लेखबद्ध किया जायेगा।"।

7. उक्त नियमों के नियम 18 के उपनियम (2) में खंड (xii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(xiii) मोचन वाल्वों के ठीक प्रचालन के लिये उनका किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार परीक्षण किया जाएगा और ऐसे परीक्षण का अभिलेख रखा जायेगा। परीक्षण प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में जारी किया जायेगा।"

8. उक्त नियमों के नियम 19 में, उपनियम (1) के पश्चात् (क) निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"ऐसे पात्रों की दशा में जिन्हें इस प्रकार डिजाइन किया गया है, उनका संनिर्माण किया गया है या उन्हें कोई समर्थन दिया गया है कि उन्हें द्रव चालित परीक्षण के लिये जल या द्रव से सुरक्षित रूप से नहीं भरा जा सकता या जिनका उपयोग ऐसी सेवाओं में किया जाता है जहां जल की धाराओं को सहन नहीं किया जा सकता, मुख्य नियंत्रक सुरक्षा पूर्वापेक्षाओं की पर्याप्तता के संबंध में अपना समाधान हो जाने के पश्चात् पात्र संविरचन संहिता में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार द्रव चालित परीक्षण के स्थान पर अविनाशी परीक्षणों के साथ साथ वातप्रचालित परीक्षण की अनुज्ञा दे सकेगा ;"

(ख) उपनियम (2) में, "उपनियम (1) के अधीन यथापेक्षित परीक्षण करने वाला सक्षम व्यक्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा"

शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "उपनियम (1) के अधीन यथापेक्षित परीक्षण करने वाला सक्षम व्यक्ति विहित प्रोफार्मा में प्रमाणपत्र जारी करेगा" शब्द, कोष्ठक और अंक रखा जायेगा।

9. उक्त नियमों के नियम 33 में "प्रोफार्मा" शब्द से पूर्व आने वाले "निम्न" शब्द के स्थान पर "मुख्य नियंत्रक द्वारा विहित" शब्द रखे जायेंगे, । नियम 33 के नीचे दिये गये प्रोफार्मा का लोप किया जायेगा।

10. उक्त नियमों के नियम 43 में "इस आशय का सुरक्षा प्रमाणपत्र" शब्दों से पूर्व "विहित प्रोफार्मा में" शब्द रखे जायेंगे।

11. उक्त नियमों के नियम 44 में,—

(क) उपनियम (1) में, "यान का यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह हर समय रोड पर चलने लायक है, और यह भरने, परिवहन और इसके भार को सुरक्षित रूप से विसर्जन करने के लिये ठीक दशा में है, निरीक्षण किया जायेगा।" शब्दों के स्थान पर "किसी यान का अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि यह हर समय सड़क पर चलने लायक है, और यह भरने, परिवहन और इसके भार का सुरक्षित रूप से विसर्जन करने के लिये ठीक दशा में है" शब्द रखे जायेंगे";

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(2) सक्षम व्यक्ति हर छह मास में यह जांच करने के लिये कि यान का अनुरक्षण उपनियम (1) के अधीन किया जा रहा है, यान की जांच करेगा और विहित प्रोफार्मा में प्रमाणपत्र जारी करेगा।"

12. उक्त नियमों के अध्याय 7 में शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जायेगा, अर्थात् :—

"दुर्घटना और क्षति"

13. उक्त नियमों के परिशिष्ट को परिशिष्ट 1 के रूप में संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार संख्यांकित परिशिष्ट 1 के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

परिशिष्ट—2

[नियम 2(घ) और 2(त) देखिए]

निरीक्षक या सक्षम व्यक्ति के लिए अर्हता और अनुभव

क्रम सं.	वह नियम जिसके अधीन सक्षमता को मान्यता दी जाती है	अर्हताएं और अन्य	इस प्रयोजन के लिए अनुभव	न्यूनतम सुविधाएं
1	2	3	4	5
1.	नियम 12(3)	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन या यांत्रिकी या धातुकर्म या समुद्री इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य वृत्तिक अर्हताएं (2) परीक्षण और परीक्षा करने के लिए शारीरिक रूप से योग्य और मानसिक रूप से स्वस्थ।	(1) दाब पात्रों और दाबाधीन संचालित उपस्करों के रूपांकन, संविरचन और संविरचन के दौरान प्रक्रमवार निरीक्षण का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव (2) जिसे— (क) दाबपत्रों और उनकी, फिटिंग से संबंधित सुसंगत संविरचन कोड और परीक्षण प्रक्रिया की जानकारी हो। (ख) अज्वलित दाब पात्रों के रूपांकन और सुरक्षा से संबंधित कानूनी अपेक्षाओं की जानकारी हो।	संविरचन के प्रत्येक प्रक्रम पर परीक्षण और परीक्षा के लिए राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मानक गेज और उपकरण निरीक्षक के पास में होंगी या उसे ये उपलब्ध कराई जाएंगी। निरीक्षक अपने द्वारा प्रयोग किए गए इन गेजों और उपकरणों की क्वालिटी और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। निरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए एक दस्तावेजी पद्धति अपनाएगा।
2.	नियम 18, 19, 33, 43 और 44	(1) रसायन या यांत्रिकी इंजीनियरी या समुद्री इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य वृत्तिक अर्हताएं (2) परीक्षण और परीक्षाएं करने के लिए शारीरिक रूप से योग्य और मानसिक रूप से स्वस्थ।	(1) निम्नलिखित में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव— (क) रूपांकन और संविरचन परिनिर्माण संचालन, अनुरक्षण; और (ख) दाब पात्रों या दाबाधीन संचालित उपस्कर का परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण। (2) जिसे— (क) दाब पात्रों से संबंधित सुसंगत पद्धति कोड और	द्रव चालित और वातप्रचालित दाब परीक्षणों, अविनाशी परीक्षणों के लिए मानक गेज, पम्प और जुक्त, पराश्रव्य स्थूलता परीक्षण, पराश्रव्य त्रुटि का पता लगाने, चुंबकीय कण निरीक्षण और किसी ऐसे अन्य परीक्षण के लिए उपस्कर, जिनकी मुख्य नियंत्रक विनिर्दिष्ट मामलों में अपेक्षा करें। सक्षम व्यक्ति के पास में सुविधाएं होंगी या

1	2	3	4	5
			परीक्षण प्रक्रिया की जानकारी हो; (ख) अज्वलित दाब पात्र संस्थापनों और परिवहन यानों की सुरक्षा से संबंधित कानूनी अपेक्षाओं की जानकारी हो। (ग) दाब पात्रों को लागू अविनाशी परीक्षण तकनीक की जानकारी हो। (घ) दाब पात्रों की सुरक्षा से संबंधित कमियों को पहचानने और इस संबंध में किसी विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने में समर्थ हो।	उसे उपलब्ध होगी। सक्षम व्यक्ति गेजों और उपस्करों की क्वालिटी और शुद्धता और कोई अविनाशी परीक्षण करने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति की सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

टिप्पण : संगठन की दशा में संघटन सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्तम्भ (3) के अधीन की ओर सामूहिक रूप से स्तम्भ (4) के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।

परिशिष्ट—3

[नियम 2(त) और 11क देखिए]

क. स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता के लिए आवेदन

[नियम 18, 19, 33, 43 और 44(2) देखिए]

1. संगठन का नाम और पूरा पता :—

2. संगठन की हैसियत (विनिर्दिष्ट करें कि व्यष्टि है या सरकारी, स्वशासी, सहकारी निगमित या प्राइवेट निकाय है जो कंपनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों ।

3. वह प्रयोजन जिसके लिए सक्षमता चाहिए (नियम) विनिर्दिष्ट करें।

4. नया संगठन/व्यष्टि को किसी अन्य कानून के अधीन सक्षम व्यक्ति घोषित किया गया है, यदि ऐसा है, तो ब्यौरा दें।

5. (i) संगठन/व्यक्ति की स्थापना का स्वरूप।

(ii) नाम और अर्हता (संगठन की दशा में संघटक सदस्यों का)

(iii) परिवहन यानों की दशा में संविरचन, संस्थापन अनुरक्षण, और दाब पात्रों और विभिन्न फिटिंग की परीक्षा और परीक्षण तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनुभव (संगठन की दशा में संगठक, सदस्यों के)। कृपया परिशिष्ट—2 के स्तम्भ 4 में उल्लिखित अपेक्षा के प्रतिनिर्देश करें। (अनुभव का दस्तावेजी सबूत संलग्न करें)।

6. निरीक्षण/परीक्षण करने के लिए संगठन के पास उपलब्ध उपस्कर, गेज आदि की विशिष्टियां।

7. विभिन्न नियमों के अधीन प्रमाणन के लिए प्रक्रमवार निरीक्षण परीक्षण करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं का ब्यौरा ।

8. कोई उच्च जानकारी ।

9. घोषणा :—

मैं ..... की ओर से प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दिया गया ब्यौरा मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार सही है। मैं वचनबंध करता हूं कि—

(i) सुविधाएं ठीक कामकाज की हालत में रखूंगा और उन्हें कालिक रूप से प्रशांकित करवाऊंगा ;

(ii) सक्षमता प्रमाणपत्र में अनुबंधित सभी शर्तों और समय-समय पर मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को पूरा करूंगा और उनका पालन करूंगा ।

संगठन के प्रधान के हस्ताक्षर

स्थान : नाम और पदनाम .....

तारीख : संस्था की मुद्रा

ख. स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अध्यपेक्षित) नियम, 1981 की परिधि के अधीन आने वाले निरीक्षक के रूप में मान्यता के लिए आवेदन ।

[नियम 12(2) देखिए]

1. संगठन का नाम और पूरा पता :

2. संगठन की हैसियत
(विनिर्दिष्ट करें कि व्यष्टि है या सहकारी, स्वशासी, सहकारी, निगमित या प्राइवेट निकाय है, जो कंपनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों) ।

3. क्या संगठन को इस कानून या किसी अन्य कानून के अधीन सक्षम व्यक्ति घोषित किया गया है। यदि ऐसा है, तो उसका ब्यौरा दें ।

4. (i) संगठन का स्वरूप

(ii) उसके संघटक सदस्यों के नाम और अर्हता ।

(iii) संगठन और संगठक सदस्यों का दाब पात्रों के संविरचन के दौरान प्रक्रमवार निरीक्षण और विभिन्न फिटिंग तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों का अनुभव। कृपया परिशिष्ट-2 के स्तम्भ 4 में उल्लिखित अपेक्षा के प्रतिनिर्देश करें। कृपया अनुभव का दस्तावेजी सबूत संलग्न करें ।

5. निरीक्षण/परीक्षण करने के लिए संगठन के पास उपलब्ध उपस्कर, गेज आदि की विशिष्टियां

6. प्रमाणपत्र के लिए प्रक्रमवार निरीक्षण/परीक्षण करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा ।

7. अनेक पक्षकारों को जारी किए जाने वाले परीक्षण और निरीक्षण प्रमाणपत्र का प्रोफार्मा ।

8. कोई अन्य जानकारी ।

9. घोषणा :—

मैं ..... की ओर से प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दिया गया ब्यौरा मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार सही है। मैं वचनबंध करता हूं कि सभी शर्तों और समय-समय पर मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को पूरा करूंगा और उनका पालन करूंगा ।

संगठन के प्रधान के हस्ताक्षर

स्थान : नाम और पदनाम .....

तारीख : संस्थान की मुद्रा

ग. किसी व्यक्ति को उस संगठन के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित भण्डारण प्रतिष्ठानों या परिवहन यानों के प्रयोजन के लिए जिसमें वह नियोजित है, सक्षमता प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन।

1. नाम
2. जन्म तिथि
3. संगठन का नाम
4. पदनाम
5. शैक्षिक अर्हता (शिक्षा प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न करें) ।
6. वृत्तिक अनुभव की विशिष्टियां (कालानुसार) :

संगठन का नाम	सेवा की अवधि	पदनाम	दायित्व क्षेत्र

7. वृत्तिक निकायों की सदस्यता, यदि कोई हो।
8. उसे उपलब्ध सुविधाओं (परिसर, परीक्षण आदि) का ब्योरा।
9. वह प्रयोजन जिसके लिए सक्षमता प्रमाणपत्र चाहिए (नियम विनिर्दिष्ट करें) ।
10. क्या आवेदक को किसी कानून के अधीन अक्षम व्यक्ति घोषित किया गया है (यदि ऐसा है तो उसका ब्योरा दें) ।
11. कोई अन्य सुसंगत जानकारी।
12. आवेदक द्वारा घोषणा।

मैं ....., घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य है। मैं वचनबंध करता हूं कि—

(क) मैं उपर्युक्त संगठन छोड़ने की दशा में, मुख्य नियंत्रक को तुरन्त सूचना दूंगा ;

(ख) सक्षमता प्रमाणपत्र में अन्तर्विष्ट सभी शर्तों और समय-समय पर मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किए गए आदेशों को पूरा करूंगा और उनका पालन करूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :
तारीख :

मैं ....., प्रमाणित करता हूं कि श्री ..... जिनका ब्योरा ऊपर दिया गया है, हमारे विश्वास में है और मैं उसे नियमों के अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में घोषित करने के प्रयोजन के लिए संगठन की ओर से नामनिर्दिष्ट करता हूं। मैं यह भी वचनबंध करता हूं कि मैं,—

(क) सक्षम व्यक्ति के हमारे नियोजन में न रहने की दशा में मुख्य नियंत्रक को सूचित करूंगा ;

(ख) ऊपर वर्णित उसे सभी उपलब्ध सुविधाओं को व्यवस्था करूंगा और ठीक हालत में रखूंगा ;

(ग) यदि सुविधाओं में कोई परिवर्तन होगा तो उसकी मुख्य नियंत्रक को सूचना दूंगा।

हस्ताक्षर
नाम और पदनाम .....
टेलीफोन नं. .....
टेलेक्स नं.

स्थान :
तारीख :

आधिकारिक मुद्रा

उदाहरण : एल.पी.जी. भण्डारण पात्र या प्रतिष्ठापन के प्रयोजन के लिए किसी परिष्करणी का कोई अधिकारी"।

[फा. सं. 2(5) 89-डी.पी.आर./ईजी जी एस]
ए.पी. सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i), अधिसूचना सं. 45 (अ), दिनांक 4-2-81 में प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 1993

G.S.R. 264(E).—Whereas a draft of certain rules to amend the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 1981 (hereinafter referred to as the said rules) was published as required by sub-section (1) of Section 18 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) vide notification of the Government of India, Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. GSR 78(E) dated 3rd February 1992 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3 sub-section (1) dated 3rd February, 1992 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 45 days from the date of publication of the notification in the Official Gazette;

And whereas the said notification was made available to the public on the 6th April 1992;

And whereas objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 5 & 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules :—

1. These rules may be called the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Amendment Rules, 1993.

In rule 2 of the said rules—

(i) for clause (d) the following clause shall be substituted, namely :—

'(d) "Competent Person" means a person or an organisation recognised by the Chief Controller, for such gases and for such period as may be specified as competent for carrying out tests, examination, inspections and certification for installations and transport vehicles as stipulated in these rules, if such a person or organisation possesses the qualifications, experience and other requirements as set out in Appendix II to these rules and is recognised as per procedure laid down in rule 11A :

Provided that the Chief Controller may relax the requirements of qualifications in respect of a competent person if such a person is exceptionally experienced and knowledgeable, but not the requirements in respect of the facilities at his command';

(ii) for clause (e) the following clause shall be substituted, namely :—

'(e) "Compressed gas" means any permanent gas, liquefiable gas or gas dissolved in liquid, under pressure or gas mixture, which in a closed pressure vessel exercises a pressure exceeding two atmosphere (gauge) at the maximum working temperature and includes Hydrogen Fluoride in case of vessels without insulation or refrigeration, the maximum working temperature shall be considered as 55 Degree C.';

(iii) for clause (p), the following clause shall be substituted, namely :—

'(p) "Inspector" means a professional organisation recognised by the Chief Controller for certifying pressure vessels and their fittings after carrying out stagewise inspection during fabrication as stipulated in the rules so as to ensure that the pressure vessels are designed and constructed in accordance with IS : 2825 or any other Code approved by the Chief Controller, if the constituent members of the organisation possesses the qualifications and experience and other requirements as set out in Appendix II to these rules and the recognition is granted as per procedure laid in rule 11A';

(iv) for clause (t) the following clause shall be substituted, namely :—

'(t) "Pressure vessel" means any closed metal container of whatever shape, intended for the storage and transport of any compressed gas which is subjected to internal pressure and whose water capacity exceeds one thousand litres and includes inter connecting parts and components thereof upto the first point of connection to the connected piping and fittings, but does not include containers wherein steam or other vapour is or is intended to be generated or water or other liquid is or is intended to be heated by the application of fire or the products of combustion or by electrical means, heat exchangers, evaporators, air receivers, steam type digestors, steam type sterilizers, autoclaves, reactors, calorifiers, pressure piping components such as separators or strainers and vessels containing a liquid under a blanket of compressed inert gas';

2. For rules 3 of the said rules, the following rule shall be substituted namely :—

General exemptions.—Nothing in these rules shall apply to vessels which form part of a processing plant. For the purpose of this rule vessels forming part of a processing plant shall mean vessels in which a unit process or unit operation is carried out and vessels which contain, as a process requirement, a compressed gas received from and consumed in the same processing plant, provided that the water capacity of the vessel(s) shall be such that the gas

stored therein at the maximum working pressure shall not exceed the requirement for feeding the consuming point(s) for a period not exceeding 16 hours at the designed flow rate".

4. In rule 4, of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) Any factory for the manufacture of vessels in accordance with a type or standard or code approved under sub-rule (1) shall be approved by the Chief Controller. Any person seeking such approval shall submit to the Chief Controller—

(a) The particulars specified in Appendix I to these rules.

(b) a scrutiny fee of rupees five hundred".

5. For rule 11 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely :—

"Procedure for payment of fees—All fees payable under these rules be paid through Crossed demand draft on any nationalised bank in favour of the Chief Controller of Explosives, Nagpur and in cases where the amount payable does not exceed Rs. 100, the payment may be made by cash, money order, postal order or cheque drawn on a local bank".

6. After rule 11 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely :—

"11A. Procedure for grant and revocation of recognition to competent person and Inspector :—

(i) Anybody intending to be recognised as Competent Person or Inspector shall submit to the Chief Controller an application in the form prescribed in Appendix III. Every application shall be accompanied by a scrutiny fee of Rs. 500 for application for Competent Person and Rs. 1000 for application for Inspector. The Chief Controller shall register such application and within a period of sixty days of the date of receipt of the application, either after having satisfied himself with regard to competence and professional ethics recognise the applicant as a competent person or an Inspector as the case may be, or reject the application specifying the reasons therefor.

(ii) The Chief Controller may after giving an opportunity to the Inspector or Competent Person of being heard revoke the recognition—

(a) if he has reason to believe that an Inspector or Competent Person has violated any condition stipulated in the letter of recognition or has carried out a test, examination and inspection or has acted, in a manner inconsistent with the intent or the purpose of these rules; or

(b) for any other reason to be recorded in writing".

7. In sub-rule (2) of rule 18 of the said rules, for clause (xiii), the following clause shall be substituted namely :—

"(xiii) relief valves shall be tested by a Competent Person for correct operation not less than once in a year and a record of such test shall be maintained. The test certificate shall be issued in the prescribed proforma".

8. In rule 19 of the said rules after sub-rule (1),

(a) the following shall be added, namely :—

"In case of vessels which are so designed, constructed or supported that they cannot be safely filled with water or liquids for hydraulic testing, or which are used in services where traces of water cannot be tolerated, Chief Controller may permit pnuematic testing alongwith non-destructive tests instead of hydraulic testing, as per procedure laid down in vessel fabrication code; after satisfying himself about the adequacy of the safety precautions undertaken;"

(b) in sub-rule (2) at the end, the words "in prescribed proforma" shall be added.

9. In rule 33, of the said rules, the words "given below" appearing after the word "proforma" shall be substituted by the words "prescribed by the Chief Controller". The proforma appearing below rule 33 shall be omitted.

10. In rule 43 of the said rules the words "in prescribed proforma" shall be added after the words "A Certificate of safety".

11. In rule 44 of the said rules (a) in sub-rule (1), the words "A check shall be made on the vehicle to" shall be substituted by the words "The licensee for any vehicle shall";

(b) for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) An examination of the vehicle to check that the vehicle is maintained as per sub-rule (1) shall be carried out every six months by a competent person and a certificate in the prescribed proforma shall be issued by him".

12. In Chapter VII of the said rules, for the heading shall be substituted, namely :—

"ACCIDENTS AND INJURIES"

13. The Appendix to the said rules shall be numbered as Appendix I and after Appendix I as so numbered the following Appendices shall be added, namely :—

APPENDIX—II

[See rule 2(d) and 2(p)]

QUALIFICATION AND EXPERIENCE OF INSPECTOR OR COMPETENT PERSON

Sl. No.	Rule under which competency is recognised	Qualifications and other requirements	Experience for the purpose	Minimum facilities
1.	Rule 12(3)	(1) Degree in Chemical or Mechanical or Metallurgical or Marine Engineering from a recognised university or equivalent professional qualifications (2) Physically fit and mentally sound for carrying out tests and examination.	(1) A minimum experience of 10 years in design, fabrication and stagewise inspection during fabrication of pressure vessels and equipments operating under pressure. (2) He shall be— (a) conversant with the relevant codes of fabrication and test procedures relating to pressure vessels and their fitting. (b) conversant with the statutory requirements concerning design and safety of unfired pressure vessels.	Standard gauges and instruments conforming to national/international standards for test and examination at every stage of fabrication. Either the Inspector shall have these or these shall be available to him. The Inspector shall be responsible for ensuring the quality and accuracy of these guages and instrument used by him. A documented system to ensure this shall be maintained by the Inspector.
2.	Rule, 18, 19, 33, 43 and 44	(1) Degree in Chemical or Mechanical engineering or marine Engg. or equivalent professional qualifications.	(1) A minimum experience of 10 years in— (a) design and fabrication, erection operation, maintenance and; (b) testing, examination and inspection of pressure vessels or equipment operating under pressure.	Standard gauges, pumps and gadgets for hydraulic and pneumatic pressure tests, non-destructive tests, equipments for ultrasonic thickness test, ultrasonic flaw detection magnetic particle inspection and any other test that may be required by Chief Controller in specific cases. Either the Competent Person shall have these facilities or these shall be available to him. The Competent Person shall be responsible for ensuring the quality and accuracy of the gauges and equipments and the competence of any person that may be employed for performing a non-destructive test.
		(2) Physically fit and mentally sound for carrying out tests and examinations.	(2) He shall be— (a) conversant with the relevant code of practice and test procedures relating to pressure vessels; (b) conversant with statutory requirements concerning safety of unfired pressure vessels installations & transport vehicles. (c) conversant with non-destructive testing techniques as are applicable to pressure vessels. (d) able to identify defects and arrive at a reliable conclusion with regard to the safety of pressure vessles.	

Note.—In case of an organisation, the constituent members shall fulfil the requirements under column 3 individually and those under column (4), collectively.

APPENDIX III

[See rules 2(p) and 11A]

A. Application for recognition as competent person under the static and mobile pressure vessesl (unfired) Rules, 1981.
[See rules 18, 19, 33, 43 & 44 (2)]

1. Name & Full address of the organisation :

2. Organisation status (specify whether individual or Govt., Autonomous, Co-poperative, Corporate or Pvt. Body. registered under Company Act).

3. Purpose for which competency is sought (Specify the rules)

4. Whether the organisation/person has been declared as a competent person under any other statute, if so, give details.

5. (i) Set up of the organisation/person.

(ii) Name & qualification
(of constituent members in case of organisation).

(iii) Experience (of constituent members in case of organission) with regard to fabriation, installation, Maintenance in case of trasport vehicles and examination and testing of pressure vessels and various fittings and in other related fields. Please refer to requirements mentioned in column 4 of Appendix II. (Pleaese attach documentary evidence of the experience).

6. Particulars of equipment, Gauges etc. available with the Organisation for carrying out the Inspection/Testings.

7. Details of the procedures followed in carrying out stage by stage inspection/test for certification under different rules.

8. Any other information.

9. Declaration

I——————hereby, on behalf of—————— Certify the details furnished above are correct to the best of my knowledge. I undertake to—

(i) maintain the facilities in good working order and calibrated periodically;

(ii) to fulfil and abide by all the conditions stipulated in the Certificate of competency and instructions issued by the Chief Controller from time to time.

Place :
Date :

Signature of the Head of the Organisation
Name & Designation——————
Seal of the institution

B. Application for recognition as an inspector coming under the purview of static and mobile pressure vessels (unfired) Rules, 1981
[See rule 12(2)]

1. Name & full address of the organisation :

2. Organisation status

(Specify whether Govt., Autonomous, Co. operative, Corporate or Private body registered under Company's Act.

3. Whether the organisation has been declared as a competent person under this or any other statute, if so, give details.

4. (i) Set up of the organisation.

(ii) Name & qualificsion of its constituent members.

(iii) Experience of the Organisation and constituent members with regard to stagewise inspection during fabrication of pressure vessels and various fittings and in other related fields. Please refer to the requirement mentioned in column (4) in Appendix II. (Please attach documentary evidence of the experience).

5. Particulars of equipment, Gauges etc. available with the organisation for carrying out the Inspection/Testing.

6. Details of the procedure followed in carrying out stage-by-stage inspection/tests for certification.

7. Proforma of test and Inspection certificates to be issued to various parties.

8. Any other information.

9. Declaration :

I————hereby, on behalf of——————certify the details furnished above are correct to the best of my knowledge. I undertake to fulfil and abide by all the conditions and instructions issued by the Chief Controller from time to time.

Place :
Date:

Signature of the Head of the Organisation.
Name & Designation————
Seal of the Institution.

C. Application for Grant of certificate of competency to a person for certifying storage installations or transport vehicles owned and operated by the Organisation in which he is employed.

1. Name
2. Date of birth
3. Name of the organisation
4. Designation
5. Educational qualification (Copies of testimonials to be attached).
6. Particulars of professional experience (in chronological order) :

Name of the organisation	Period of service	Designation	Area of responsibilities.

7. Membership, if any, of professional bodies.
8. Details of facilities (examination, testing etc.) at his disposal.
7. Purpose for which competency certificate is sought (specify the rules).
10. Whether the applicant has been declared as a competent person under any statute (If so, details). . . . .
11. Any other relevant information.
12. Declaration by the applicant.

I.........her by declare that the information furnished above is true. I undertake—

(a) that in the event of my leaving the aforesaid organisation, I will promptly inform the Chief Controller;

(b) to fulfill and abide by all the conditions stipulated in the certificate of competency and instruction issued by the Chief Controller from time to time.

Place :
Date :

Signature of the applicant.

I————————, certify that Shri————whose particulars are furnished above, is in our employment and nominate him on behalf of the organisation for the purpose of being declard as a competent person under the rules. I also undertake that I will

(a) notify the Chief Contioller in case the completent person leaves our employment;

(b) provide and maintain in good order all facilities at his disposal as mentioned above.;

(c) notify the Chief Controller any change in the facilities.

Place :
Date :

Signature
Name and Designation————
Telephone No. ————
Telex No. ————
Official Seal

*Example : An officer in a refinery for certifying LPG Storage vessels or the installation".

[F. No. 2(5)/89-DPR/EGGS]
A.P. SINGH, Joint Secy.

Foot Note.—Principal rules were published vide notification No. 45(E), dated 4-2-81 in the Gazette of India Extraordiary Part-II, Section-3, Sub-Section (i).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993